

अपील सूचना का अधिकार संख्या 187/2015 श्री धीरज कुमार निवासी 610 बालाजी टावर, 6वां, नजदीक होटल रेडिसन, दुर्गापुरा, जयपुर बनाम तहसीलदार, अनूपगढ

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

31.032016



187
15
AB
7

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री धीरज कुमार उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री धीरज कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2015 आईपीओ न0 32 एफ 427457 दिनांक 12.10.2015 के द्वारा तहसीलदार, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:-

1. वर्तमान तहसीलदार, श्री बुद्धराम द्वारा वसीयत में इन्तकाल दर्ज करने के आदेशों के कुल प्रकरणों की संख्या, प्रकरण नाम व दिनांक प्रदान करें (तहसीलदार श्री बुद्धराम बिश्नोई के पदस्थापन से दिनांक 21.09.2015 तक)
2. गैर खातेदारी वसीयत के कुल प्रकरणों की संख्या, प्रकरण नाम, दिनांक व निस्तारण दिनांक प्रदान करें, (तहसीलदार श्री बुद्धराम बिश्नोई के पदस्थापन से दिनांक 21.09.2015 तक)
3. दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 30.07.2015 अवधि के दौरान तहसीलदार अनूपगढ को राज कार्य के लिए दिए गए वाहन की डीजल लॉग बुक प्रदान करें।
4. दिनांक 01.03.2015 से 30.05.2015 तक की तहसीलदार बुद्धराम की दैनिक कार्य डायरी पुस्तिका/रिकार्ड के सभी पृष्ठों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।
5. वर्तमान तहसीलदार बुद्धराम बिश्नोई के विरुद्ध इनकी नियुक्ति से लेकर दिनांक 21.09.2015 तक जारी या दिए गए आरोपपत्रों/चार्जशीट की प्रतिलिपियां प्रदान करें।
6. वर्तमान तहसीलदार बुद्धराम की नियुक्ति से लेकर दिनांक 21.09.2015 तक शिकायतों की प्रतिलिपियां (प्रमाणित) प्रदान करें।
7. तहसीलदार बुद्धराम बिश्नोई की सेवा पुस्तिका (Employee Service Record Book) की प्रतिलिपि प्रदान करें।
8. तहसीलदार श्री बुद्धराम बिश्नोई अनूपगढ पदस्थापन से लेकर दिनांक 21.09.2015 कब तक मुख्यालय परित्याग रहे इन दिनों का ब्यौरा व परित्या के कितने प्रार्थना पत्र तैयार किये।
9. प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद व विभागीय पता प्रदान करें।

अपीलार्थी श्री धीरज कुमार ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ द्वारा उसके प्रा0 पत्र पर निर्णय नहीं लिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी से पूर्ण सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे व सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ द्वारा प्रतिवेदन संख्या 46 दिनांक 21.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी धीरज कुमार का सूचना के अधिकार के तहत एक बिना हस्ताक्षर का प्रा0 पत्र डाक द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रा0 पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं होने से सूचना तैयार नहीं करवाई गयी। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रा0 पत्र पर तारीख 21.09.2015 अंकित की गयी है जबकि इसके साथ पोस्टल ऑर्डर दिनांक 12.10.15 का अंकित है और लोक सूचना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

187
15AB
2

अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पत्र सं० 281 दि० 09.11.2015 से प्रार्थी को समय अविध में ही सूचनाओं के बारे में उक्तानुसार सूचित कर दिया गया था। किन्तु बाद में अपील के संबंध में इस कार्यालय (जिला कलेक्टर कार्यालय) का स्मरण पत्र सं० 155 दिनांक 21.01.2016 उन्हें प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना तैयार कर पत्र सं० 45 दिनांक 21.01.16 के द्वारा उसे भिजवा दी गई है। जिसमें बिन्दु सं० 5,6,7 के संबंध में उनके कार्यालय में रिकार्ड न होने के बारे में सूचित किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पी.सी.किशन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर